मध्य प्रदेश शासकीय वनों में लगे ग्रामों में इमारती लकड़ी काटकर गिराने तथा हटाने का विनियमन नियम 2007

अधिसूचना क्र. एफ, 2-39-04-सात-शा..-6 नवम्बर, 2007 - मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 241 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (बासठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात्-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, तथा प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी को काटकर गिराने तथा हटाने का विनियमन नियम, 2007 है।

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" मे इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 241 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित आदेश का हिन्दी में अनुवाद किया जाएगा और ऐसे अनुवाद की एक प्रतिलिपि ऐसे ग्रामों में, जो अधिसूचना क्षेत्र में समाविष्ट हों, सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाई जाएगी। इसकी एक प्रतिलिपि ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभी के सूचना फलक पर चिपकाई जाएगी और इसकी घोषणा सम्बन्धित ग्रामों तथा साप्ताहिक हाट यदि कोई हो, में भी डोंडी पिटवा कर की जाएगी।

3. प्रत्येक ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत स्तरीय समिति होगी, ऐसी ग्राम पंचायत के सामान्य पशासन समिति के समस्त सदस्य और स्थानीय बीट गार्ड, पटवारी ऐसे समिति के सदस्य होंगे। सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति का सभापति तथा ऐसी समिति का सचिव ऐसी समिति का सदस्य सचिव होगा।

4. जब किसी ग्राम में धारा 241 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश उद्घोषित कर दिया जाये तब विक्रय या व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजनों हेतु अपने खाते में के किसी राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष को काटकर गिराने का इच्छुक कोई व्यक्ति, इन नियमों से संलग्न प्रारूप "क" में लिखित में तीन प्रतियों में आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु वृक्षों को काटे जाने या काटकर गिराये जाने के लिए कोई अनुज्ञा अपक्षित नहीं होगी, यदि वृक्षों को काटा जाना या काटकर गिराया जाना मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) के अनुसार है :

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन विरचित मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भूमिस्वामी के खाते में की राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटकर गिराये जाने और अभिवहन के लिए, यदि ऐसा काटकर गिराया जाना संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में नहीं है तो अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि उसने स्वयं ने इन वृक्षों का रोपण, जिसमें वाणिज्यिक रोपण भी सम्मिलित है, किया हो :

परन्तु यह और भी कि भूमिस्वामी, किसी रोपण के सम्बन्ध में, तहसीलदार तथा वन रेंज अधिकारी को प्रारूप "ख" में अग्रिम सूचना देगा और ऐसा रोपण को, खसरा को सम्मिलित करते हुए, सुसंगत राजस्व अभिलेखों में, सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - (1) इस नियम के उपबन्धों के प्रयोजन के लिए "वाणिज्यिक रोपण" में इस नियम में यथा उपबन्धित राजस्व अभिलेखों में इनके अभिलिखित होने के अध्यधीन रहते हुए वाणिज्यिक फसल के रूप में वृक्षों का रोपण, उनका उगाना तथा उनकी कटाई सम्मिलित होगी।

(2) "राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष से" अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रजातियाँ।

5. आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार तुरन्त ही दूसरी प्रति उप संभागीय अधिकारी, वन को और तीसरी प्रति ग्राम पंचायत स्तरीय समिति को विचारार्थ भेजेगा ग्राम पंचायत स्तरीय समिति तथा उप संभागीय अधिकारी, वन से अनुशंसा/प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि इमारती लकड़ी के वृक्षों में से जिन्हें काटने हेतु आवेदन किया गया है, कौन-सी इमारती लकड़ी के वृक्ष जनहित में आरक्षित रखा जाना अपेक्षित है या कौर-से मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु अपेक्षित हैं। वह खाते में उसके अतिरिक्त, जिन्हें वह अनुरक्षित रखे जाने का आदेश दे, इमारती लकड़ी के वृक्ष काटे जाने की अनुज्ञा दे सकेगा :

परन्तु ऐसे भूमिस्वामी के मामले में जो ऐसी जनजाति का हो, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदि जनजाति घोषित की गई है, मध्यप्रदेश आदिम जनजाति (वृक्षों में हित) संरक्षण अधिनियम, 1999 के उपबन्ध लागू होंगे।

6. नियम 5 के अधीन भूमिस्वामी को लिखित में दी गई अनुज्ञा, एक राजस्व वर्ष के लिए मान्य होगी।

7. अनुरक्षित रखे जाने वाले इमारती लकड़ी के वृक्षों को निम्नलिखित रीति से चिन्हित किया जाएगा :

(एक) ऐसे वृक्ष ग्राम के पटवारी अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित रखे जाने के लिए चिन्हित किए जाऐंगे।

(दो) ऐसे वृक्षों पर सीने की ऊँचाई पर अर्थात् भूमि के तल से 1.3 मीटर पर कोलतार की पट्टी होगी और वे क्रमांकित किए जाऐंगे।

8. ग्राम के पटवारी का यह देखने का कर्त्तव्य हागा कि ऐसे वृक्ष जिन्हें अनुरक्षित किए जाने का आदेश हुआ है, काट कर गिराये नहीं गये हैं।

9. (1) वृक्षों को काट कर प्राप्त की गई वन उपज के परिवहन के लिए मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 लागू होंगे।

(2) अभिवहन में वन उपज का प्रभारी कोई व्यक्ति, किसी भी वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा जब कभी उससे ऐसे करने को कहा जाये उसके प्रभार में की वन उपज से सम्बन्धित पास को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

10. (1) जहाँ किसी राजस्व अधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि इन नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी वृक्ष को काटा गया है तो वह राजस्व अधिकारी के आदेश के अधीन या उसके द्वारा ऐसे वृक्ष की लकड़ी या उसके काप (कार्पस) को अभिग्रहित कर सकेगा।

(2) जहाँ राजस्व अधिकारी उप संभागीय अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी हो, वहाँ उसके द्वारा ऐसे अभिग्रहण की सूचना, पन्द्रह दिन के भीतर, उपखण्ड अधिकारी को, ऐसी कार्रवाई के लिए, जैसी कि वह मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 253 के अधीन उचित समझे, करेगा।

11. मध्यप्रदेश शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी को काटकर गिराने तथा हटाने का विनियमन नियम, 2002, एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई काई कार्रवाई या पारित किया गया कोई आदेश इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई कार्रवाई या पारित किया गया आदेश समझा जाएगा।

प्रारूप-"क"

(नियम 4 देखिए)

(1) आवेदक का नाम, पिता का नाम तथा पता संहिता .....

(2) उस भूमिस्वामी का, जिसके खाते में तथा पटवारी हल्का क्रमांक सहित उस ग्राम का नाम जिसमें वृक्ष काटकर गिराया जाना है। .....

(3) सर्वेक्षण क्रमांक/भू-खण्ड क्रमांक क्षेत्रफल सहित, जिसमें वृक्ष काटकर गिराया जाना है। .....

(4) पूर्वोक्त सर्वेक्षण क्रमांक/भू-खण्ड क्रमांक में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार तथा घेरावार कुल संख्या .....

(5) घेरावार काटकर गिराये जाने वाले वृक्षों की संख्या तथा काटकर गिराये जाने वाले वृक्षों का अनुक्रमांक। .....

(6) क्रेता का नाम, पूर्ण विशिष्टियां तथा पता .....

(7) विक्रय की शर्तें तथा प्रतिफल .....

(8) गंतव्य स्थान जहाँ तक काटी गई सामग्री का परिवहन या तो स्वयं या क्रेता द्वारा किया जाना है। .....

(9) परिवहन का मार्ग .....

स्थान .....

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप-''ख''

(नियम 4 देखिए)

खसरा को सम्मिलित करते हुए, राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी के वृक्षारोपण की प्रविष्टियों को अभिलिखित करने हेतु सूचना।

प्रति,

तहसीलदार,

तहसील .....

जिला ..... मध्यप्रदेश .....

(1) आवेदक का नाम, पिता का नाम तथा पता .....

(2) सर्वे क्रमांक तथा क्षेत्रफल, पटवारी हल्का क्रमांक एवं ग्राम जिसमें वृक्षारोपण प्रस्तावित है। .....

(3) भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में विशिष्टियाँ .....

(4) प्रत्येक खसरा क्रमांक में विद्यमान प्रस्तावित वृक्षों की संख्या .....

अनु. क्रमांक	खसरा क्रमांक	विद्यमान वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या और प्रजाति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)

स्थान .....

तारीख ..... आवेदक के हस्ताक्षर

[म.प्र. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 7-12-2007 पृष्ठ 41-416 पर प्रकाशित।]

खातों की लकड़ी का वर्गीकरण एवं क्रय एवं भुगतान की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार) अधिनियम, 1969 के प्रवृत्त होने से उन क्षेत्रों में जहाँ इमारती लकड़ी विनिर्दिष्ट वनोपज घोषित हुई है, उस क्षेत्र के भूमि स्वामी की सागौन, साल, बीजा, शीशम की इमारती लकड़ी के क्रय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर दर निर्धारित की जाती है। ये दर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकती है। इसके संबंध में मध्यप्रदेश राज-पत्र भाग 1 दिनांक 26-7-76 को प्रकाशित नियम निम्नानुसार हैं -

(1) सारणी में जो दर दर्शाये जाते हैं वे दर शासन द्वारा स्थापित डिपो से 25 किलोमीटर के अन्दर स्थित भूमि खातों के लिए हैं। ये दर खाते पर खरीद के लिए हैं।

गोलाई का नाप सागौन के लिए छाल सहित तथा साज, बीजा, शीशम का छाल रहित लिया जावेगा। लट्ठों की गोलाई का माप मध्य में तथा बल्लियों का मोटे सिरे से 1.20 मीटर पर लिया जायेगा।

(2) लट्ठों एवं बल्लियों का श्रेणीकरण अनुसार निम्न किया जावेगा -
लट्ठे
सागौन : प्लाय वुड, इमारती, अर्ध-इमारती,
चतुर्थ इमारती
साल, बीजा, शीशम, : इमारती, अर्ध-इमारती
बल्लियाँ
सागौन : इमारती, अर्ध-इमारती।

(3) सारणी में साल, बीजा, शीशम में सागौन प्लायवुड तथा इमारती के दर तथा साल बीजा, शीशम में केवल इमारती लकड़ी के दर दिये जाते हैं।

(4) अर्ध-इमारती लट्ठों (सागौन, साल शीशम, बीजा) का दर उसी साइज के इमारती लट्ठों के दर का 40% होगा।

(5) चतुर्थांश इमारती सागौन की दर, उसी साइज के इमारती लट्ठों की दर का 20% होगा।

(6) इमारती बल्ली सागौन की दर सूची अनुसार होगा, अर्ध-इमारती सागौन बल्ली की दर उसी साइज के बल्लियों का 50% होगा।

(7) यदि किसी भूमि स्वामी का खाता, स्थापित डिपो से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो तो वन विभाग द्वारा खेतों की लकड़ी का परिदान लेने पर प्रति 5 कि.मी. या उसके भाग पर, क्रय दर में सभी जातियों के लिए 5.00 प्रति घन मीटर की कमी की जाएगी। यह कमी कुल दूरी पर नहीं, बल्कि 25 किमी से अधिक दूरी के भाग पर ही की जावेगी।

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र./अप्रमुवसंउ/राजस्व-1/6821 भोपाल, दिनांक 27.11.98

प्रति,

समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

विषय : सागौन एवं साल काष्ठ के प्रचलित वर्गीकरण में परिवर्तन।

वर्तमान में सागौन एवं साल काष्ठ के वर्गीकरण की क्रमशः सात एवं पांच श्रेणियां प्रचलन में है। काष्ठाकारों में प्लाइवुड एवं प्रथम श्रेणी की काष्ठ की मात्रा नगण्य एवं द्वितीय श्रेणी की मात्रा भी अत्यल्प है।

सामान्य अनुभव रहा है कि काष्ट में तृतीय 'अ' श्रेणी बहुत व्यापक है और लगभग दोषरहित लट्ठों के साथ-साथ काफी दोष वाले लट्ठे भी इस श्रेणी में शामिल रहते हैं। परिणामस्वरूप अवरोध मूल्य प्रभावित होता है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु द्वितीय 'श्रेणी' को नवीन वर्गीकरण के अंतर्गत द्वितीय 'अ' एवं द्वितीय 'ब' श्रेणी में विभाजित किया गया है ताकि प्रथम श्रेणी से कुछ निम्न श्रेणी की काष्ठ को द्वितीय 'अ' श्रेणी में तथा तृतीय 'अ' की लगभग दोषरजित काष्ठ दो द्वितीय 'ब' श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सके। इसी प्रकार कुछ ऐसी काष्ठ जो न तो पूरी तरह जलाऊ ही होती है और न ही पूरी तरह चतुर्थ 'ब' श्रेणी की ही होती है तथा जिसमें 20 से 25 प्रतिशत तक चिरान निकल सकती है, इस प्रकार की काष्ठ को नवीन वर्गीकरण में पंचम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तथा प्लाइवुड क्वालिटी की नगण्य मात्रा में होने के कारण इसे समाप्त किया गया है।

प्रचलित साल काष्ठ वर्गीकरण में भी चतुर्थ श्रेणी से निम्न श्रेणी न होने के कारण चतुर्थ श्रेणी को क्रमशः चतुर्थ 'अ' एवं चतुर्थ 'ब' में विभाजित कर उपरोक्त दर्शित पंचम श्रेणी की काष्ठ को नवीन वर्गीकरण में चतुर्थ 'ब' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

इस प्रकार संलग्न वर्गीकरण पत्रक में दर्शित प्रथम श्रेणी से चतुर्थ 'ब' श्रेणी तक का वर्गीकरण सागौन एवं साल काष्ठ हेतु समान रूप से लागू किया गया है। केवल पंचम श्रेणी का प्रावधान सागौन काष्ठ हेतु ही किया गया है।

अत- इस वर्गीकरण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाकर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न - वर्गीकरण प्रपत्र

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन
मध्यप्रदेश, भोपाल

व्यापारिक श्रेणी के काष्ठ का नवीन वर्गीकरण

श्रेणी	गठाने	टेढ़ापन	मरोड	टेपर	दरार	नालियां	पोलापन	धारा	जलापन
प्रथम	अधिकतम दो छोटी जीवित गठाने लंबाई में मान्य	× मान्य नहीं	बहुत कम प्रति 3 मीटर लंबाई के लिए 5 प्रतिशत तक अन्तर मूल्य	× मान्य नहीं	× मान्य नहीं	× मान्य नहीं	× मान्य नहीं	× मान्य नहीं	× मान्य नहीं
द्वितीय 'A'	–	प्रति 3 मीटर लंबाई में एक टेढ़ 10 से.मी. गहराई तक	हल्की बहुत कम ऐठन	प्रति 3 मीटर लंबाई में 10 प्रतिशत तक मान्य	हल्की कम गहरी सतही दरारे मान्य	हल्की 5 सेमी. तक गहरी नालियां मान्य	× मान्य नहीं	× मान्य नहीं	× मान्य नहीं
द्वितीय 'B'	अधिकतम 6 जीवित गठानें मध्यम आकार की प्रति 3 मीटर लंबाई में	अधिकतम दो टेढ़ 10 मी. गहराई तक प्रति 3 मीटर लंबाई में	मध्यम दिखने योग्य मरोड मान्य	प्रति 3 मीटर लंबाई में 15% तक मान्य	मध्यम गहराई की सतही दरारें मान्य	साधारण नालियां 10 से.मी. गहराई तक	केवल एक सिरे पर बहुत कम व्यास का 1/15 तक क्षेत्रफल मान्य	× मान्य नहीं	× मान्य नहीं
तृतीय 'A'	6 से 8 बड़ी आकार की जीवित या मृत गठाने प्रति 3 मीटर लंबाई में मान्य	अधिकतम दो टेढ़ 10 से 15 से.मी. गहराई तक की प्रति 3 मीटर लंबाई में	स्पष्ट दिखने योग्य मरोड	प्रति 3 मीटर लंबाई में 20 प्रतिशत तक अन्तर मान्य	केवल एक सिरे पर गहरी दरार	मध्यम गहराई की नालियां मान्य	केवल एक सिरे पर व्यास का 1/10 तक पोलापन मान्य	× मान्य नहीं	× मान्य नहीं
तृतीय 'B'	बड़ी आकार की 8 से 10 जीवित या मृत गठाने प्रति 3 मीटर लंबाई में मान्य	अधिकतम 4 टेढ़ 15 से 20 से.मी. गहराई तक की प्रति 3 मी. लंबाई में मान्य	असीमित	असीमित	लट्ठे के दोनों सिरों पर गहरी दरारें मान्य	गहरी नालियां मान्य	दोनों सिरों पर व्यास का 1/10 तक पोलापन मान्य	मध्यम खार	हल्का जला ऊपरी छाल का गहराई तक जिसका आयतन पर कोई प्रभाव नहीं

श्रेणी	गठाने	टेढ़ापन	मरोड	टेपर	दरार	नालियां	पोलापन	धारा	जलापन
चतुर्थ 'A'	बड़े आकार की 10 से 12 जीवित या मृत गठान प्रति 3 मीटर लंबाई में	असीमित	असीमित	असीमित	गहरी दरार लट्ठे की अर्द्ध लंबाई तक	बहुत गहरी नालियां	दोनों सिरों पर व्यास का 1/10 से 1/15 तक पोलापन मान्य	अधिक खार मान्य नहीं	जला हुआ आयतन 50 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त
चतुर्थ 'B'	बड़े आकार की 12 से 15 गठानों युक्त लट्ठा प्रति 3 मीटर लंबाई में	असीमित	असीमित	असीमित	असीमित	असीमित	दोनों सिरे पर व्यास का 1/5 से अधिक तक पोलापन मान्य	अत्यधिक कोई सीमा नहीं	अधिक जला हुआ जिससे आयतन का 10 प्रतिशत तक भाग क्षतिग्रस्त
पंचम	बहुत बड़े आकार की प्रति 3 मीटर लंबाई में 15 से अधिक गठानों युक्त	असीमित	असीमित	असीमित	असीमित	असीमित	उपरोक्तानुसार	असीमित	अधिक जला आयतन का 10 प्रतिशत से अधिक भाग क्षतिग्रस्त

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्र./समिति/04/2003/2009 भोपाल, दिनांक 5.4.03

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उ)
भोपाल

विषय : वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 हेतु भूमि स्वामी खाते की विनिर्दिष्ट/अविनिर्दिष्ट काष्ठ क्रय हेतु दर निर्धारित।

राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 19-2-2003 (अ.प्र.मु.व.सं.उ. के विषय क्रमांक-2) में लिये गये निर्णय के अनुसार भूमिस्वामी खाते में विनिर्दिष्ट/अविनिर्दिष्ट काष्ठ क्रय हेतु दर निर्धारित के संबंध में कलेण्डर वर्ष 1-1-2000 से 31-12-2001, 1-1-2002 से 31-12-2002 तथा 1-1-2003 से 31-12-2003 तक की अवधि के लिए भूमिस्वामी खाते की विनिर्दिष्ट काष्ठ के क्रय हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार दर प्रक्रिया निर्धारित करता है :

(क) "केलेण्डर वर्ष 2000 में वन वृत्तवार शासकीय डिपो से विक्रय की गई समकक्ष श्रेणी की इसी प्रजाति के काष्ठ के विक्रय से प्राप्त औसत मूल्य को समेकीकृत कर केलेण्डर वर्ष 2001 हेतु 2001 में प्राप्त औसत मूल्य से 2003 हेतु मालिक मकबूजा की काष्ठ की क्रय दर निर्धारित की जाये। समेकीकरण में प्राप्त असामान्य दरों को शामिल नहीं किया जावेगा। यदि किसी वृत्त में किसी विशेष श्रेणी, प्रजाति अथवा लंबाई गोलाई वर्ग की दरें उपलब्ध न हो तो इनके लिए वृत्त की सीमा से लगे हुए समीपस्थ एक या दो वृत्तों (जैसी स्थिति हो) में केलेण्डर वर्ष 2001, 2002 एवं 2003 हेतु काष्ठ क्रय की दर का निर्धारण तक वर्ष के 12 माह में वन वृत्तवार शासकीय डिपों से विक्रय की गई समस्त श्रेणी की इसी प्रजाति के काष्ठ के विक्रय से प्राप्त औसत मूल्य को समेकीकृत कर मालिक मकबूजा की क्रय काष्ठ की दर निर्धारित की जावे।

(ख) इस प्रकार परिगणित दरों में भूमिस्वामियों से क्रय की गई लकड़ी के लिए हस्तन व्यय उतना ही घटाया जावेगा जो कि प्रति घन मीटर व्यय काष्ठ के लिए डिपों में व्यय किया जाता है। परिवहन में जो वास्तविक व्यय विभाग द्वारा किया जाना है उतना ही घटाया जावेगा। इसके अतिरिक्त यदि विभागीय पर्यवेक्षण में भूमिस्वामियों के वृक्षों की मार्किंग, कटाई, बुगाई, परिवहन आदि कार्य संपन्न किये गये हैं तो विभाग द्वारा किया गया वास्तविक व्यय ही काष्ठ के परिगणित मूल्य से घटाया जावेगा।

(ग) भूमिस्वामी की काष्ठ के मूल्य का भुगतान डिपो में की गई अंतिम ग्रेडिंग के अनुसार होगा।

(घ) क्रय की जाने वाली भूमिस्वामी की, काष्ठ का नाप एवं वर्गीकरण वर्तमान में प्रचलित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित की गई वृत्तवार दरों का अनुमोदन राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जावे।

हस्ता.
के. पी. सिंह
उपसचिव

भाग पांच : खण्ड छः

काश्तकार द्वारा इमारती लकड़ी की काश्त

अधिसूचना क्र. 2-8-सात-शा-8-94 दिनांक 29 जुलाई, 1997 धारा 241 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् संहिता के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 258 की उपधारा (1) व उपधारा (2) के खण्ड (बासठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 22 जनवरी, 1960 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 218-6477-सात-एन (रूल्स), दिनांक 6 जनवरी, 1960 में राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है जो उक्त संहिता की धारा, 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात्-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

(1) नियम 2, 3, 4, 5, 6 तथा पुनः क्रमांकित नियम, 11 में शब्द "कलेक्टर" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)" स्थापित किये जाएं;

(2) नियम, 2 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएं, अर्थात् :

"परन्तु मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन विरचित मध्यप्रदेश परिवहन (वनउपज) नियम, 2000 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भूमि के खाते में के इमारती वृक्षों को गिराये जाने और परिवहन के लिए, यदि ऐसा गिराया जाना संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं है, अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी जबकि उसने वाणिज्यिक बागान रोपण को सम्मिलित करते हुए उन वृक्षों का रोपण किया हो :

परन्तु यह और कि,

(एक) यदि वृक्षारोपण, इस नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया हो और वे सुसंगत राजस्व खसरा में अभिलिखित न हो, तो वह इस नियम के प्रवृत्त होने के नब्बे दिन के भीतर तहसीलदार को तथा वन रेंज अधिकारी को इसकी सूचना प्रारूप "ख" में देगा तथा इस प्रकार के वृक्षारोपण को, खसरा में सम्मिलित करते हुए सुसंगत राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किया जाएगा;

(दो) भविष्य के किसी और वृक्षारोपण के लिए, भूमिस्वामी तहसीलदार तथा वन रेंज अधिकारी को सूचना प्रारूप-ख में अग्रिम सूचना देगा तथा यह कि इस प्रकार के वृक्षारोपण को खसरा को सम्मिलित करते हुए सुसंगत राजस्व अभिलेखों में, सम्यक्रूप से अभिलिखित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - नियम-2 के परन्तुकों के प्रयोजन के लिए "वाणिज्यिक वृक्षारोपण" में नियम 2 के परन्तुकों के अधीन यथा उपबंधित राजस्व अभिलेखों में इनके अभिलिखत होने के अध्यधीन रहते हुए, वाणिज्यिक फसल के रूप में वृक्षों का रोपण, उनका उगाना तथा काटना सम्मिलित होगा।"

(3) नियम 3 के उपनियम (1) के परन्तुक में, शब्द तथा अंक "संहिता, 1959" के स्थान पर शब्द तथा अंक "संहिता 1959, उपखण्ड अधिकारी ऐसे आवेदन को कलेक्टर को अग्रषित करेगा जो" स्थापित किए जाएं।

(4) नियम 6 के खण्ड (एक) में शब्द "पटेल" के स्थान पर शब्द "पटवारी" स्थापित किया जाए।

(5) नियम 7 में शब्द "पटेल" के स्थान पर शब्द "पटवारी" स्थापित किया जाए।

(6) नियम 9 में शब्द तथा अंक "5 नए पैसे" के स्थान पर शब्द "पांच रुपये" स्थापित किया जाए।

(7) नियम 10 के उपनियम (1) में शब्द "इमारती लकड़ी का कोई नग" के स्थान पर शब्द "इमारती लकड़ी का कोई नग जिसे मध्यप्रदेश परिवहन (वन उपज) नियम, 1961 लागू होता हो" स्थापित किया जाए।

(8) नियम 10 के उपनियम (3) को नियम "11" के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए।

प्रारूप ख

(नियम 2 देखिए)

खसरा में सम्मिलित करते हुए राजस्व अभिलेखों में इमारती वृक्ष के वृक्षारोपण की प्रविष्टियों को अभिलिखित करने हेतु सूचना

प्रति,

तहसीलदार .....

तहसील .....

जिला ..... (मध्यप्रदेश)

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम तथा पता .....

2. खसरा नम्बर तथा क्षेत्रफल पटवारी हल्का नम्बर एवं ग्राम जिस पर वृक्षारोपण किया गया है/प्रस्तावित है। .....

3. भूमि के स्वामित्व के संबंध में विशिष्टियाँ .....

4. प्रत्येक खसरा नम्बर में विद्यमान/प्रस्तावित वृक्षों की संख्या : .....

क्रम संख्या	खसरा क्रमांक	वर्तमान में स्थित वृक्षों की संख्या प्रजाति सहित	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या और प्रजाति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)

तारीख .....

स्थान .....

.....

(खातेदार के हस्ताक्षर)

(म.प्र. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 8.8.97 पृष्ठ 120-22 पर प्रकाशित।)